

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 764


दिनांक :- 11/7/24

II संशोधित कार्यालय आदेश II

मैं कमल सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपटित धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 746 दिनांक 05.07.2024 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 के प्रशिक्षण प्रोग्राम में भाग लेने हेतु जोधपुर जाने एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई के चिकित्सीय अवकाश पर होने के कारण संशोधन कर दिनांक 13.07.2024, दिनांक 14.07.2024 एवं दिनांक 21.07.2024 के राजकीय अवकाशों के लिए टोंक न्यायक्षेत्र में प्रोटोकॉल से सम्बन्धित कार्य हेतु नीचे दी गई सारणी में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को प्रोटोकॉल ह्यूटी करने के लिए अधिकृत करता हूँ। माह जुलाई के लिए अन्य दिनांक के लिए पूर्ववर्ती आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	अभिलाषा जेफ	9829462902	13.07.24
2.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनियाय	डॉ. सुरभि सिंह	9414782822	14.07.24
3.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	अंजली सिंह	9560595669	21.07.24

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारीगण कॉलम संख्या 5 में नियत ह्यूटी दिवस पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 765-773

दिनांक :- 11/7/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली/मालपुरा।
3. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
4. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
5. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
6. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
7. पुलिस कंट्रोल रूम, टोंक।
8. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)